मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- 159 /आ.वि./अल्पविराम/ 2017 भोपाल, दिनांक 30 /06/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
(होशंगाबाद, आगरमालवा, रतलाम को छोड़कर),
मध्यप्रदेश ।

विषय :- "अल्पविराम" प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

सकारात्मक सोच वाला इन्सान एक अच्छा कर्मचारी सिद्ध होगा एवं यह मान्यता है कि हर व्यक्ति को उसका अर्न्तमन "क्या सही है" जरूर बताता है। बस मुददा यह है कि वह अर्न्तमन की आवाज़ सुन सकें। "अल्प विराम" कार्यक्रम एक ऐसी संक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अर्न्तमन की आवाज़ को सुनकर अपने जीवन में सकारात्मक सोच विकसित कर लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।

2/ इस कार्यक्रम के तहत राज्य आनंद संस्थान ने प्रशिक्षण के माध्यम से आनंदकों "आनन्दम सहयोगियों" के रूप में तैयार किया है जो कर्मचारियों को "अल्प विराम" प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अर्न्तमन की आवाज़ सुनकर सकारात्मक परिवर्तन एवं उचित निर्णय के लिये सक्षम बनायेंगे।

3/ राज्य आनन्द संस्थान द्वारा जिलेवार प्रशिक्षित आनन्दम सहयोगियों की सूची संलग्न है।

4/ प्रस्तावित है कि आपके जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय में "अल्प विराम" कार्यक्रम निम्नलिखित अनुसार आयोजित किया जाये:-

(4.1) जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक) के लगभग 30 व्यक्तियों के आवश्यतानुसार 02 या 02 से अधिक समूह बनाये जायें। प्रत्येक समूह में सभी श्रेणियों के अधिकारी/कर्मचारी शामिल हों।

Scanned by CamScanner

(4.2) प्रत्येक समूह के लिये आनन्दम सहयोगी के साथ मिलकर 'अल्प विराम" कार्यक्रम के 7 सत्रों के लिए समयचक्र निर्धारित किया जाए एवं तदनुसार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाये।

(4.3) "अल्प विराम" कार्यक्रम के लिये प्रतिदिन एक घण्टे का समय निर्धारित किया जाये।

(4.4) 07 बार "अल्प विराम" कार्यक्रम के प्रशिक्षण के बाद संबंधित समूह स्वंय निर्णय करेगा कि अब आगे उसे "अल्प विराम" समूह में करना है अथवा उसके सदस्य प्रतिदिन यह संक्रिया घर पर करेंगे अथवा नहीं करेंगे।

(4.5) जिले में उपरोक्त प्रस्तावानुसार किये गये अल्पविराम कार्यक्रम का विवरण आनंदम सहयोगी द्वारा संस्थान की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाये।

(4.6) जिला कलेक्टर कलेक्ट्रेट में आयोजित " अल्पविराम " प्रशिक्षण के पश्चात् माह के अंत में अधिकारियों/कर्मचारियों से चर्चा कर " अल्पविराम " कार्यक्रम के संबंध में अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें।

(4.7) जिला कलेक्टर कार्यालय में "अल्प विराम" कार्यक्रम सम्पन्न हो जाने के पश्चात अथवा उसके साथ ही "आनन्दम सहयोगी" जिले के अन्य कार्यालयों में भी "अल्प विराम" का प्रशिक्षण दे सकते हैं।

5/ जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समूह बनाकर कम से कम एक माह में 4 बार "अल्प विराम" कार्यक्रम का आयोजन किया जाये। जिला अधिकारियों के समूह का 04 बार प्रशिक्षण के पश्चात्

(5.1) जिला अधिकारियों के साथ "अल्पविराम" आगे जारी रखने के संबंध में निर्णय लें।

(5.2) जिला अधिकारी आवश्यकतानुसार आनन्दम सहयोगियों के साथ समय तय कर "अल्प विराम" कार्यक्रम अपने कार्यालय में करने के संबंध में निर्णय लें।

यथासंभव "अल्प विराम" कार्यक्रम टी.एल. मीटिंग के साथ नहीं किया जाये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपी:-

पृ.क्रं.-160 /आ.वि./अल्पविराम/ 2017 भोपाल, दिनांक 30/06/2017

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश,
2. समस्त नोडल अधिकारी,
3. समस्त आनंदम सहयोगियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग

Scanned by CamScanner